न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 44/2017

उनवान

1. रामा, पुत्र पदमा
2. खाजू, पुत्र रामा
3. जमीला, पुत्री रामा
4. शहीदा, पुत्री रामा
5. रजीया, पुत्री रामा
6. फरजाना पुत्री रामा
7. झूमी पत्नि रामा जाति मेहरात निवासी भीमपुरा

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 21.8.23

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 2378 रकबा 3—17—0 व 2380 रकबा 5—15—0 वादीगण को नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश की पालना नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 27.12.22 से वंर्किग जमाबंदी में की गयी। नियमन दिनांक से वादीगण उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.21, 2625 रकबा .31, 2772 रकबा 0.93 व 2509/3140 रकबा 0.12 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि सिवायचक है अतः वाद निरस्त किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर पूर्व रेकार्ड में विधिक रूप से खातेदार दर्ज था ?

—— वादी

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

——2

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

3. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में फरजाना के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम भीमपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 2378 रकबा 3–17–0 व 2380 रकबा 5–15–0 वादीगण को नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश की पालना नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 27.12.22 से वंर्किग जमाबंदी में की गयी। नामान्तकरण संख्या 356 के कालॅम संख्या 14 में उक्त आराजी उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के आदेश क्रमाक 92 दिनांक 11.11.02 द्वारा वादीगण को नियमन होने का अंकन है। उक्त आराजी भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों का निस्तारण करते हुये वादीगण को नियम की गयी। राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भू. आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) नियमन की सिफारिश करने से वादीगण को उक्त आराजी नियमन करने के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादीगण के पक्ष में आराजी मुतनाजा के नियमन का नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 26.12.02 को भरा गया जो दिनांक 27.12.02 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादीगण को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वादी को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। उक्त नियमन आज दिनांक तक निरस्त नही किया गया है ना ही उक्त नियमन आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही की गयी है। वादीगण पूर्व राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के विधिक खातेदार सिद्व होते है। तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। किन्तु हाल खसरा नम्बर 1677 रकबा 0.19 की किस्म गै.मु. मोरी दर्ज होने के कारण वादी उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी प्राप्त के अधिकारी नही है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

<u>तनकी संख्या 2 व 3 :–</u>

तनकी संख्या 1 के विवचन अनुसार ग्राम भीमपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 2378 रकबा 3–17–0 व 2380 रकबा 5–15–0 वादीगण को नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश की पालना नामान्तरकरण संख्या 356 दिनांक 27.12.22 से वंर्किग जमाबंदी में की गयी। उक्त नियमन आदेश आज दिनांक तक निरस्त नही किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का नियमन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त नियमन को निरस्त नही किया जाता तब तक नियमन वैध होता है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.21, 2625 रकबा 0.31, 2772 रकबा 0.93 व 2509/3140 रकबा 0.12 को वंर्किग जमाबी के इन्द्राज अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय सिवायचक दर्ज कर दिया है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी आदेश अथवा नामान्तकरण के परिवर्तित करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। राज0 पैरोकार ने वाद का कोई ठोस खण्डन पेश नही किया है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। तनकी बहक वीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.21, 2625 रकबा 0.31, 2772 रकबा 0.93 व 2509/3140 रकबा 0.12 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्लाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामा बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 41 / 2017
पेश करने की दिनांक – 18.03.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.21, 2625 रकबा 0.31, 2772 रकबा 0.93 व 2509 / 3140 रकबा 0.12 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 08 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद